निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 100/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. लक्ष्मण पुत्र काना
2. रामनारायण पुत्र काना
3. गणेश पुत्र काना

समस्त जाति गुर्जर, निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री भूपेन्द्र यादव आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी दूदू, जिला जयपुर।

2 गोपाल पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 58/2020 एवं स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 75/2020 व उनवानी गोपाल बनाम तहसीलदार मौजमाबाद व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने ।

उपस्थितः—

1. श्री रमेश सिंह राजावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. एस॰ जे॰ गिरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 19.07.2022

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 58/2020 एवं स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 75/2020 व उनवानी गोपाल बनाम तहसीलदार मौजमाबाद व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी दूदू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर अधिवक्ता श्री एस॰जे॰ गिरी ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब प्रस्तुत किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण को पक्षकार संयोजित करने से पूर्व ही अधीनस्थ न्यायलय द्वारा प्रार्थी गोपाल की एक पक्षीय सुनवाई करते हुए अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 04.12.2020 पारित कर दिया गया । सुस्थापित विधि के तहत अन्तरिम आदेश पारित करने के पश्चात जबाब प्रस्तुत होने पर 30 दिवस के भीतर—भीतर स्थगन प्रार्थना पत्र का अन्तिम रूप से निस्तारण करना अनिवार्य है, परन्तु अधीनस्थ न्ययालय द्वारा

जिला कलक्टर
जयपुर

उक्त स्थगन आदेश को अनियमित रूप से बढाया जा रहा है और स्थगन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम रूप से बहस भी नहीं सुनी जा रही है। प्रार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अन्य प्रार्थना पत्र धारा 11 सी.पी.सी. दिनांक 30.03.2021 को पेश किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर भी अन्तिम रूप से बहस नहीं सुनी जा रही है और अन्तरिम स्थगन आदेश को अनियमित रूप से बढाया जा रहा है। प्रार्थीगण व उसके अधिवक्ता द्वारा बहस करने के लिए बार बार प्रयास किया गया, परन्तु पीठासीन अधिकारी बहस सुनने से इन्कार कर देते है और ओपन कोर्ट में कहते है कि मूल प्रार्थना पत्र का ही निस्तारण करूंगा। आप मूल प्रार्थना पत्र पर बहस कर लीजिये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण मे केवल और केवल आगामी पेशियां नियत की जाती रही है और कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है । उक्त प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बा किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण त्वरित व प्रभावी न्याय से वंचित हो रहे है। गत तारीख पेशी दिनांक 27.04.2022 को नियत थी। उस रोज अप्रार्थी संख्या 3 रामनारायण पैरवी करने हेतु अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुआ था। गत पेशी पर अप्रार्थी संख्या 2 गोपाल अपने साथ एक व्यक्ति जो सफेद रंग का कुर्ता पायजामा पहन रखा था। पर्सनल्टी से नेता जैसा दिख रहा था, को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर में दोपहर 1.30 बजे से 2.00 बजे तक लंच समय में साथ बैठ कर चाय नाश्ता कर रहे थे और उसी दौरान अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी ने चपरासी से उक्त उनवानी प्रकरण की पत्रावली मंगवाई और उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 गोपाल ने गांव में कई लोगों को कहा कि हमने पीठासीन अधिकारी से बात कर ली है वो मुकदमें का फैसला हमारे पक्ष में करेंगे। अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी व अप्रार्थी संख्या 2 गोपाल आपस में मिल गये है। इस कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 से न्याय मिलने की कोई उम्मीद व आशा नहीं है। उक्त परिस्थितियों में उक्त प्रकरण को अग्रिम सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि वास्तविकता यह है कि धारा 11 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र की बहस हेतु पत्रावली नियत है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की बहस नहीं कर मात्र मुकदमें को लम्बा करने की गरज से मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण का आरोप झूंठा व बनावटी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमें में नजदीक तारीख पेशी दी जा रही है जिससे शीघ्र न्याय हो सके । अतः प्रार्थीगण का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र काल्पनिक व बनावटी तथ्यों के आधार पर होने से खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी दूदू की पत्रावली की आदेशिका की प्रस्तुत फोटोप्रति का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा ज्यादा लम्बी तारीख पेशियां नहीं दी जा रही है। पत्रावली प्रार्थना पत्र धारा 11 सी.पी.सी. के जबाब बहस में नियत है। इसलिए प्रार्थी के कथन को बल नहीं मिलता है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण

जिला कलक्टर
जयपुर

द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी दूदू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।

9. निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर